

शिकट - 245

120
08/09/2022



नकल प्राप्त होने की तिथि	नकल तैयार करने की तिथि	नकल जारी होने की तिथि	नकल जारी करने वाले के हस्ताक्षर
06/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	<i>Rishi</i> 08/09/22 रीडर

उप जिलाधिकारी
जलालपुर-अम्बेडकरनगर

न्यायालय उपजिलाधिकारी जलालपुर अम्बेडकरनगर

सुरेशचन्द्र मिश्र बनाम त्रान सभा

अन्तर्गत धारा 80 रा० रा० 2006

वाक्य संख्या - 0035/2020



ग्राम बबुश, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर
जिला अम्बेडकरनगर उ०प्र०

प्रतिनिधि शक्ति दिनांक 08/09/2022 पालि इष्य
उपजिलाधिकारी जलालपुर अम्बेडकरनगर फोलियो
के साथ प्रमाणित दायजति संलग्न है।

Rishi
08/09/22
रीडर
उप जिलाधिकारी
जलालपुर-अम्बेडकरनगर

न्यायालय उप जिलाधिकारी जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर
सुरेशचन्द मिश्र बनाम ग्राम समा

वाद संख्या-0035/2020
धारा 143 ज०वि०अधि०
मौजा बबुरा, परगना सुरहुरपुर, तहसील
जलालपुर, जिला अम्बेडकरनगर।

निर्णय

प्रस्तुत तदद में प्रार्थी सुरेशचन्द मिश्र पुत्र राम मूरति मिश्र निवासी ग्राम बबुरा कोषाध्यक्ष राम मूरति मिश्र स्मारक टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग कालेज बबुरा, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर द्वारा अंतर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० बाबत गाटा संख्या 159मि०/0.4890हे०,157/0.4620हे०,3ख/0.2400हे०,175/0.0660हे०,176/0.0190 स्थित ग्राम बबुरा, परगना सुरहुरपुर, तहसील जलालपुर जिला अम्बेडकरनगर द्वारा अंतर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० का दिया गया है कि उक्त भूमि में कालेज बना हुआ है। उसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है बल्कि उपरोक्त विद्यालय भवन निर्मित है। उपरोक्त गाटे के सम्बन्ध में स्वत्व सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अंत में अकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार जलालपुर से जांच आख्या प्राप्त की गयी। उनके द्वारा नायब तहसीलदार जलालपुर की आख्या प्रेषित की गयी है। नायब तहसीलदार की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 159मि०/0.4890हे०,157/0.4620हे०,3ख/0.2400हे०,175/0.0660हे०,176/0.0190 स्थित ग्राम बबुरा मौके पर कृषि कार्य नहीं होता है अतः धारा 143 ज०वि०अधि० के अंतर्गत अकृषिक घोषित करने की आख्या दी गयी है जो स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

राम मूरति मिश्र स्मारक टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग कालेज बबुरा के नाम अंकित गाटा संख्या 159मि०/0.4890हे०,157/0.4620हे०,3ख/0.2400हे०,175/0.0660हे०,176/0.0190हे० अकृषिक घोषित किया जाता है। निर्णय अमलदशमद जारी हो। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही संचित अभिलेखागार हो।



Singh
उप जिलाधिकारी
जलालपुर।

प्रतिहस्ताक्षरित

Singh
रीडर
उप जिलाधिकारी
जलालपुर-अम्बेडकरनगर

Ramesh Kumar
सत्य प्रतिलेपि
पमाणित



2
Page

महानगर का नाम की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि	कार्य की तिथि
15-4-2013	16-4-2013	16-4-2013	16-4-13

कार्य की तिथि - 29-1-2013
 कार्य का विवरण - 35 - एड्डा 143 कार्डों का कार्य
 कपुरा, पल्लव, सुपुल्लव, सहस्राल जलालपुर, जिला - गौरीसम
 नाम का है - 29-1-2013

गौरीसम जिला - गौरीसम
 उपविभागाधीन कार्य का नाम गौरीसम नाम

कार्य की तिथि - 29-1-2013 का कार्य का नाम है

16-4-13



तुरेराचन्व मिश्र

नाम

गर्वितमा

बाद संख्या- 35

धारा 143 जाचिअधि

मीजा बहुरा, परगना तुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेकरनगर।

निर्णय

प्रस्तुत तहसिल में तुरेराचन्व मिश्र पुत्र राम मूरति मिश्र निवासी ग्राम बहुरा कोभाटयल राम मूरति मिश्र स्मरक टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग कालेज बहुरा, परगना तुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेकरनगर धारा अंतर्गत धारा 143 जाचिअधि बाकत गाटा संख्या 159मि।।. अम.हे। स्थित ग्राम बहुरा, परगना तुरहुरपुर, तहसील जलालपुर, जिला अम्बेकरनगर धारा अंतर्गत धारा 143 जाचिअधि का किया गया है कि उक्त भूमि में कालेज बना हुआ है। उसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि उपरोक्त विद्यालय भवन निर्मित है। उपरोक्त गाटा के सम्बन्ध में स्वतंत्र सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अतः में अतिरिक्त घोषित करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार जलालपुर से जयद अध्या प्राप्त की गयी। उनके द्वारा नायब तहसीलदार जलालपुर की आज्ञाप्रेषित की गयी है। नायब तहसीलदार जलालपुर की आज्ञाप्रेषित में यह उल्लेख किया गया है कि गाटा संख्या 159मि।।. एकटा 0. अम.हे। स्थित ग्राम बहुरा में कृषि कार्य नहीं होता है। अतः धारा 143 जाचिअधि के अंतर्गत अतिरिक्त घोषित करने की आज्ञा दी गयी है जो स्वीकार होने योग्य है।

अज्ञेय

राम मूरति मिश्र स्मरक टीचिंग एण्ड ट्रेनिंग कालेज बहुरा के नाम अंकित गाटा संख्या 159मि।।. अम.हे। अतिरिक्त घोषित किया जाता है। परवाना अम-दोसमद जारी हो। बाद आवश्यक कार्रवाई परवाली दाखिल कर्त हो।

राम मूरति मिश्र
16-11-13

अज्ञेय प्रतिलिपि

29-11-13
उपजिलाधिकारी,
जलालपुर।